

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/18/2010/126

भोपाल, दिनांक 29/3/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
	श्रीमती सुरुचि श्रीवास्तव वरि. अ. (गृह विज्ञान) शा.महारानी लक्ष्मीबाई क.उ.मा.वि. दमोह जिला- दमोह	AH8251	23120377 702	नगरपालिका परषिद दमोह जिला दमोह जा.क्र.2049दि06.03.10	नगरपालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 15 दि. 19.03.10 शा.क.उ.मा.वि.सरोजनी नायडू	23320377 719

संविलियन की शर्तें :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।




10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।


उप संचालक 29/3/10

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/3/10

पृष्ठा. क्र./शि.क./संवि./ए/18/2010/127
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 29/3/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./बी/संवि./07/2010/122

भोपाल, दिनांक 29/3/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती धर्मश्री अहिरवार वरि.अध्यापक(अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. बरा जिला-सागर	AX6913	23110977 703	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 32 दि.27.01.10	नगरपालिका परिषद पृथ्वीपुर जिला- टीकमगढ़ जा.क्र. 165 दि. 05.03.10 शा.बा.उ.मा.वि. पृथ्वीपुर	23080577 701
2	श्रीमती वैशाली बोरगावकर (निखाडे) अध्यापक शा.मा.वि. हडाईखेडा जिला-शाजापुर	BA5367	23220803 302	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.3932 दि.30.09.09	जिला पंचायत उज्जैन जिला- उज्जैन जा.क्र. 7795 दि. 27.08.09 शा.हाईस्कूल पंथपिपलई	23210766 609
3	श्रीमती पुष्पलता अवधिया अध्यापक शा.मा.शा. बुधुआ जिला-जबलपुर	AB7880	23390713 902	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 20 दि.08.01.10	नगरपालिका परिषद मैहर जिला- संतना जा.क्र. 28 दि. 22.02.10 शा.क.उ.मा.वि. मैहर	23130208 547
4	श्रीमती ज्योति बिलडा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि.गांगडा हडाडा जिला-शाजापुर	AZ8362	23220808 401	जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.2534दि.16.12.09	जनपद पंचायत इंदौर जिला- इंदौर जा.क्र. 332 दि. 02.03.10 शा.मा.शा. सोनवाय	23260309 702
5	श्रीमती प्रफुला कुजूर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. तखामजरा जिला-टीकमगढ़	BD5932	23080600 802	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र.119दि 10.02.09	जनपद पंचायत गंजबासौदा जिला- विदिशा जा.क्र. 218 दि. 22.02.10 शा.प्रा.वि. कजना, शा.प्रा.वि. सियावदा, शा.प्रा.वि. हतौडा	23310110 801
6	श्रीमती सुधा बुन्दले सहायक अध्यापक शा.मा.वि. विक्रमपुर जिला-छतरपुर	AF7155	23090811 602	जनपद पंचायत राजनगर जिला छतरपुर जा.क्र.1159दि.19.06.09	जनपद पंचायत बीना जिला- सागर जा.क्र. 5879 दि. 18.11.09 शा.हाईस्कूल देहरी	23110466 603

[Handwritten Signature]

संविलियन की शर्तें :-


1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जोबक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित** निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

पृ. क्रं./शि.क./बी/संवि./07/2010/123


प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों** के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों** के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।




उप संचालक
29/3/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/3/10

8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


29/3/18
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
७

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./बी/संवि./16/2010/120

भोपाल, दिनांक 29/3/10

:: आदेश ::


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मरियम हुसैन सहा. अध्यापक(उर्दू) शा.मा.वि. धनखेड़ी जिला- राजगढ़	AU5601	23300309 202	जनपद पंचायत राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र. 72दि.21.07.09	नगर पालिका निगम भोपाल जिला- भोपाल जा.क्र.131दि.05.11.09 शा.मा.शा. गांधीनगर	23320303 202
2	श्री विशाल सिंह जोहरे अध्यापक (विकलांग) शा. मा.वि. लखनगवा जिला- शिवपुरी	BA8729	23060112 201	जिला पंचायत शिवपुरी जिला-शिवपुरी जा.क्र.1181दि.25.2.10	जिला पंचायत मुरैना जिला-मुरैना जा.क्र. 8050 दि.11.8.09 शा. मा.वि. दहेड शा.मा.शा.चंचिहा	23020406 105
3	श्रीमती प्रीति खटीक सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कचनारीहटा जिला- दमोह	AH9179	23120404 401	जनपद पंचायत हटा जिला दमोह जा.क्र.2129दि23.02.10	नगर पंचायत बिजावर जिला -छतरपुर जा.क्र. निरक दि. 06.03.10 शा.क.उ.मा.वि. बिजवार	23090377 702
4	श्रीमती सुधारानी गुप्ता सहा. अध्यापक शा.प्रा.शा. सिंधवारी जिला- भिण्ड	BG5645	23030710 201	जनपद पंचायत गोहद जिला भिण्ड जा.क्र.243 दि24.01.09	नगर निगम ग्वालियर जिला -ग्वालियर जा.क्र. 961 दि. 31.12.09 शास.प्रा.वि. शिशुकम्पू	23040504 801
5	श्रीमती ममता सिंह अध्यापक (कला) शा.पू.मा.वि. रइया जिला- सतना	AV5868	23130306 404	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.2551 दि07.9.09	जिला पंचायत दमोह जिला -दमोह जा.क्र. 4559 दि. 01.01.10 शा.हाईस्कूल जोरतलाखुर्द	23120366 609
6	श्रीमती मधु सिंह अध्यापक शा.पू.मा.शा. हरदी जिला- सतना	AV2195	23130314 903	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.1542दि28.01.10	नगरपालिका निगम रीवा जिला -रीवा जा.क्र. 2809 दि. 21.12.09 शा.प्रवीण कुमारी उ.मा.वि. रीवा	23140123 711
7	कु. निधि अग्निहोत्री अध्यापक (विज्ञान) शा.न.मा.शा. पाडली जिला- शाजापुर	BA1078	23220612 304	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.501 दि15.02.10	नगर पंचायत औबेदुल्लागंज जिला -रायसेन जा.क्र.408 दि. 19.03.10 शा.क.उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज	23340477 701

8	श्री मुकेश बामनिया सहा. अध्यापक शा.प्रा.शा. नाथूखेड़ी जिला- रतलाम	BJ1496	23200123 203	जनपद पंचायत आलोट जिला रतलाम जा.क्र.98 दि 22.02.10	जनपद पंचायत जिला -नीमच जा.क्र. 442 दि. 16.02.10 शास.प्रा.वि. जैतपुरा	जावद	23180317 801
पा र र पा रि क 9	श्री दौलसिंह पारगी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. जैतपुरा जिला- नीमच	AS7912	23180317 801	जनपद पंचायत जावद जिला -नीमच जा.क्र.442दि.16.02.10	जनपद पंचायत जिला रतलाम जा.क्र.98 दि 22.02.10 शा.प्रा.शा. नाथूखेड़ी	आलोट	23200123 203


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावद क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


 29/3/10
 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


29/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश